

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या-1897 वर्ष 2026**

दीपांशु गर्ग

..... आवेदक(ओं)

बनाम

भारत संघ, राजस्व निदेशालय विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	अतुल वर्मा, मोहम्मद आगा हैदर रिज़वी, विनोद कुमार यादव
विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता	:	दिग्विजय नाथ दुबे, धीरज श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या – 15**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को पत्रावली पर लिया गया है।

आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल वर्मा और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज श्रीवास्तव को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने नकली चालान जारी करने और वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति या वैध व्यावसायिक गतिविधि के बिना वित्तीय लेनदेन को प्रदर्शित करने के इरादे से कई फर्मे बनाईं। ऐसा करने पर, आवेदक पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (इसके बाद "आईटीसी" के रूप में संदर्भित) मेसर्स फॉर्च्यून सिग्नल एंड टेक्नोलॉजी, शिवम टेलीकॉम एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को 18.65 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने का आरोप है। यह भी आरोप लगाया गया है कि मेसर्स हाईटेक सिग्नल्स एंड इंजीनियरिंग, मेसर्स मारुति सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और मेसर्स तिरुपति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कॉन्ट्रैक्टर्स को 6.87 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी दी गई। इस प्रकार, आवेदक पर उपरोक्त पांच लाभार्थी फर्मों को 25.52 करोड़ रुपये की गलत तरीके से आईटीसी प्राप्त करने में मदद करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने अपने ड्राइवर के नाम पर बनाई गई स्वामित्व फर्मों के माध्यम से 8.08 करोड़ रुपये स्वयं ही धोखाधड़ी वाली आईटीसी का लाभ उठाया। तदनुसार, आवेदक के कारण धोखाधड़ी वाली आईटीसी की कुल राशि रु. 33.60 करोड़ होने का आरोप है। आरोपी-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। न्यायिक रिमांड आवेदन के अनुसार, प्रतिवादी ने 20 स्थानों का हवाला दिया है जिनकी तलाशी ली गई थी और जहां 16.02.2026 को जब्ती कार्रवाई की गई थी, जो 17.02.2026 तक जारी रही। प्रथम 15 स्थानों का आवेदक से कोई संबंध नहीं है। आवेदन में उल्लिखित 16वां स्थान आवेदक का पुराना घर है, जिसे उसके पिता ने वर्ष 2024 में पहले ही बेच दिया था। प्रतिवादी द्वारा छापा मारा गया 17वां स्थान आवेदक का कार्यालय-सह-निवास था, और आवेदक के कथित इकबालिया बयान के अलावा उक्त परिसर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। दरअसल, आवेदक को बयान देने के लिए मजबूर किया गया और कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर ले लिए गए। उनके द्वारा स्वेच्छा से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया।

आवेदक को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद "2017 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 70 के तहत 17.02.2026 को नई दिल्ली में और उसके बाद 18.02.2026 को लखनऊ में समन भेजा गया था। स्वयं अभियोजन पक्ष का मामला है कि आवेदक ने दोनों अवसरों पर बयान दिए और जांच/पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग किया। हालाँकि, आवेदक ने विशेष रूप से अपना बयान जेल अधिकारियों के माध्यम से संबंधित न्यायालय को भेज दिया है, जिसमें उसने कोई भी आपत्तिजनक बयान देने से इनकार किया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिसर संख्या 18 के संबंध में, यह स्पष्ट रूप से किसी पूरन सिंह का है। परिसर संख्या 19 एक सोनू का निवास है, जहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन में उल्लिखित 20वां स्थान भी आवेदक से जुड़ा नहीं है। दरअसल, आवेदक को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, लखनऊ जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 17.02.2026 को नई दिल्ली में जबरदस्ती पकड़ लिया था, जहां उसे उसी दिन उपस्थित होने और अपना बयान देने के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अवैध हिरासत में लखनऊ लाया गया, जो सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें जमानत याचिका के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में पत्रावली में हैं। उक्त फुटेज में आवेदक के नई दिल्ली स्थित आवास पर पंजीकरण संख्या यूपी78जीवी7992, यूपी80जीटी9039 और यूपी32एनटी0357 वाली तीन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कारें दिखाई दे रही हैं।

आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी जापन दिनांक 18.02.2026 से पता चलता है कि आवेदक को लखनऊ लाया गया था; हालाँकि, उसमें उल्लिखित सटीक तारीख और समय से पता चलता है कि आवेदक को 17.02.2026 को दोपहर लगभग 01:30 बजे ही हिरासत में ले लिया गया था, जो पूरी गिरफ्तारी को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन बनाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ये तथ्य गिरफ्तारी जापन को खराब करते हैं। गिरफ्तारी जापन भी पूरी तरह से दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आवेदक ने 2017 के अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट अपराध किए हैं, जिससे पता चलता है कि अभियोजन एजेंसी स्पष्ट नहीं थी और वह सटीक अपराध निर्दिष्ट नहीं कर सकी जिसके लिए आवेदक को गिरफ्तार किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि 2017 के अधिनियम की धारा 132 के तहत विचाराधीन अपराध में अधिकतम पांच साल की कैद की सजा है। न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन में प्रतिवादी द्वारा कोई विश्वसनीय कारण नहीं बताया गया है। पहला कारण 2017 के अधिनियम की धारा 69(3) के साथ पठित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 को संदर्भित करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों प्रावधान गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित हैं, न कि आरोपी की निरंतर हिरासत की आवश्यकता से। उन्हें न्यायिक रिमांड के औचित्य से कोई मतलब नहीं है। प्रतिवादी द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि चूंकि जांच अभी भी जारी है, आवेदक को जांच को प्रभावित करने से रोकने के लिए न्यायिक रिमांड आवश्यक है। यह महज एक आशंका है और लगातार हिरासत में रखने का वैध आधार नहीं है। यह उनका अपना मामला है कि आवेदक ने पूछताछ/जांच का अनुपालन किया है और उसके बयान 2017 के अधिनियम की धारा 70 के तहत पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। लगभग सभी साक्ष्य दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के हैं और पहले से ही प्रतिवादी के कब्जे में हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने अपना पहला बयान 17.02.2026 को नई दिल्ली में दिया और उसके बाद 18.02.2026 को अपना दूसरा बयान देने के लिए लखनऊ में उपस्थित हुआ। न्यायिक रिमांड आवेदन में ऐसा कोई कथन नहीं है कि आवेदक ने जांच में बाधा डाली है। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है और वास्तव में, गिरफ्तारी की तारीख से आवेदन दाखिल करने तक कोई हिरासत रिमांड की मांग नहीं की गई थी।

यह प्रस्तुत किया गया है कि कथित इकबालिया बयान को छोड़कर, यह सुझाव देने के लिए कोई दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक या फॉरेंसिक सामग्री नहीं है कि आवेदक ने कथित डमी फर्मी को बनाया या संचालित किया हो। आवेदक के पास स्थायी निवास और व्यवसाय स्थान है, और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 18.02.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। गिरफ्तारी ज्ञापन के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन एजेंसी स्वयं निश्चित नहीं है कि कथित अपराध समझौता योग्य हैं या गैर-समझौता योग्य हैं।

इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि गिरफ्तारी ज्ञापन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध मुद्रित प्रोफार्मा में है। उन्होंने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आगे कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन के साथ, "गिरफ्तारी के आधार" और "विश्वास करने के कारण" आवेदक को उसी दिन, यानी 18.02.2026 को विधिवत दिए गए थे। उनका कहना है कि धारा 132(1)(ख), (ग) और 2017 के अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध गैर-शमनयोग्य, गैर-जमानती और संज्ञेय हैं।

17.02.2026 को अवैध गिरफ्तारी के विवाद के संबंध में, उनका मानना है कि यह गलत है। आवेदक को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 18.02.2026 को गिरफ्तार किया गया था और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उसी दिन विद्वान परीक्षण अदालत के समक्ष पेश किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षण अदालत के समक्ष जमानत याचिका लंबित होने के दौरान, आवेदक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 70/2026 दायर की थी, जिसे वापस ले लिया गया है। आवेदक पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला गया है, क्योंकि गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारणों को विधिवत सूचित किया गया था।

इस मुद्दे पर पत्रावली और कानून का अवलोकन किया।

बहस के दौरान, दोनों पक्षों द्वारा कुछ निर्णय/आदेश न्यायालय के समक्ष रखे गए।

विनीत जैन बनाम भारत संघ (आपराधिक अपील संख्या 4349/2025) में, जहां कथित अपराध 2017 के अधिनियम की धारा 132(1) के खंड (ग), (च) और (ज) के तहत थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में, आमतौर पर परीक्षण न्यायालय से पहले जमानत दी जानी चाहिए जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि आवेदक की कोई हिरासत रिमांड नहीं ली गई है। सामग्री मूलतः दस्तावेजी प्रकृति की प्रतीत होती है। मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अपराध के लिए पांच साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संजय चंद्रा बनाम सीबीआई, (2012) 1 एससीसी 40 (प्रस्तर 19 पर जोर देने के साथ), सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [2026 लाइव लॉ (एससी) 114], और विनीत जैन (उक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर उचित विचार करने पर, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 18.02.2026 से जेल में बंद है, कोई हिरासत रिमांड नहीं लिया गया है, सबूत मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति के हैं, और आवेदक ने जांच में सहयोग करने का वचन दिया है, यह अदालत आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानती है।

तदनुसार, जमानत अर्जी **स्वीकार** की जाती है।

बता दें कि, मुकदमा अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2026 की धारा 132 (1) (ख) (ग) और धारा 1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 पुलिस स्टेशन-डीजीजीआई, जिला-लखनऊ के में शामिल आवेदक-**दीपांशु गर्ग** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक निजी बंधन और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।
- (iv) आवेदक अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करेगा।
- (v) आवेदक संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जिला लखनऊ की क्षेत्रीय सीमा नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई अन्य शर्त जो विचारण न्यायालय/संबंधित अदालत मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, उसे भी न्याय के हित में लगाया जा सकता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इसका मुकदमे की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मार्च 20, 2026

विनय/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।